

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारा

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 1701

दिनांक : 28/02/2025

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारा।

विषय :- भंवरगढ़ से नाहरगढ़ सड़क निर्माण के वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु एवं परानियां से छतरगंज तक सड़क निर्माण के वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु।

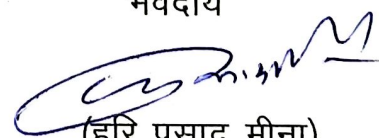
प्रसंग :- श्रीमान् के कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ0/एफ.सी.ए./ए.व.स./
2023-24/395 दिनांक 27.01.2025 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
A. Compliance of EDS:-		
1	पूर्व में निर्मित सड़क 1980 से पूर्व की है, अतः उसे शामिल नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया है। वर्तमान में सड़क 16 मीटर चौड़ाई में Widening and Strengthening के लिये प्राप्त हुआ है। पूर्व सड़क का क्षेत्र भी प्रत्यावर्तन में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	यह सड़क 1980 से पूर्व की निर्मित है, क्योंकि इस सड़क का एलाइग्मेंट राजस्व में दर्ज है। अतः इसे प्रत्यावर्तन में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाने वाले भाग का ही प्रत्यावर्तन किया जा रहा है।
2	प्रस्ताव में गैर वन भूमि 3.435 है0 एवं वन भूमि 3.893 है0 अर्थात् कुल 7.328 है0 होती है। प्रस्ताव में 0/475 से 19/00 कि.मी. अर्थात् 18.525 कि.मी. रोड़ निर्माण की जानी है। अतः 11.17 है0 कुल भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें से वन क्षेत्र 3.893 है0 कम करने पर 7.2894 है0 गैर वन भूमि होगी। जिसका अंकन किया जाना है।	यह सड़क पहले से राजस्व में दर्ज है तथा राजस्व में दर्ज एरिया की गणना नहीं की गई है। केवल वन क्षेत्र में आने वाले खसरे जिसमें चौड़ाई बढ़ानी है (13100 से 17680 कि.मी.)। उसी का ही अंकन किया गया है।
3	प्रस्ताव में आठ माह में डिजिटल सीमाओं को सही करने की कार्यवाही जारी होना बताया गया है, जो उचित नहीं है।	श्रीमान् जी से निवेदन है कि वन भूमि की डिजिटल सीमाओं का अंकन वन विभाग द्वारा ही सही किया जाना है।

भवदीय



(हरि प्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद